प्रकरण संख्या 165/2017 निर्भयसिंह बनाम मोहनसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सगतपुरा, तहसील भीण्डर में वाद पत्र के परि ाश्ट ''क'' की आराजी नंबर 200/2, 220 से 223, 226, 337, 347 से 351, 353 से 357 कुल किता 17 रकबा 83 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है। टिप्पणी में नामान्तरकरण संख्या 309 बक्षीस से आराजी नंबर 347 से 351, 353 से 357 कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा करणसिंह पिता सरदारसिंह के बजाय निर्भयसिंह, ि ावसिंह पिता करणसिंह राजपूत के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार परि ाश्ट ''ख'' की आराजी नंबर 224 व 225 किता 2 रकबा 16 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूश सरदारसिंह जी थे, जिनके दो पुत्र भोपालसिंह व करणसिंह तथा दो पुत्रियां सायर कुंवर व प्रका ा कुंवर हुई जो अपनी ससुराल रहती हैं। सरदारसिंह ने अपनी कुलिया भूमि अपने दोनों पुत्रों भोपालसिंह व करणसिंह के बराबर बराबर बांट दी, तब से दोनों भाई इसी अनुसार काबिज होकर का त करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 करणसिंह जी के वारिस होने से परि ाश्ट ''क'' की आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा है तथा परि ाश्ट ''ख'' की आराजियात में प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 5 सुरेन्द्रसिंह के पुत्र, पुत्री होने से परि ाश्ट ''क'' में सुरेन्द्रसिंह के हिस्से में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी सुरेन्द्रसिंह का 1/24 हिस्सा है तथा परि ाश्ट ''ख'' की आराजियात में प्रत्येक वादीगण व [illegible]ह का 1/48 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज व [illegible] परि ाश्ट ''क'' की आराजियात में करणसिंह का 1/6 हिस्सा [illegible] परि ाश्ट ''ख'' की आराजियात में 1/12 हिस्सा ही है,	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन प्रतिवादी निर्भयसिंह व ि ावसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 करणसिंह को बहला–फुसलाकर परि ि ाश्ट ''क'' की आराजी नंबर 347 से 351, 353 से 357 कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा का एक बक्षीसनामा अपने पक्ष में निश्पादित करवा लिया जो वादीगण के मुकाबले अवैध एवं भून्य है। पक्षकारों के मध्य अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु बक्षीसनामें के आधार पर उनके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाने से वादग्रस्त आराजियात अन्य व्यक्तियों को बैह बक्षीस आदि तरीके से हस्तान्तरित करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर परि ि ाश्ट ''क'' की आराजियात में वादीगण को 3/24 हिस्से का तथा परि ि ाश्ट ''ख'' की आराजियात में 3/48 हिस्से का खातेदार घोशित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री ललित जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 7 की ओर से वकील श्री डालचन्द पोखरना उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से वकील श्री भगवतीलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री रणजीतसिंह सारंगदेवोत उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व

डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी उन्हें दिनांक 09.10.2017 को हुई। अतः देरी को कण्डोन फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में देरी को कण्डोन फरमाया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा आदे ा 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड में लिये जाने का निवेदन किया गया, जिसे अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति होकर राजस्व रेकार्ड है, जिसके फर्जी अथवा बनावटी होने की कोई संभावना नहीं है। अतः उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का सम्मन अपीलान्टगण को सम्यक रूप से तामिल नहीं हुआ, जिससे उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। सरदारसिंह ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात का सेटलमेन्ट कर वादग्रस्त भूमि अपने पुत्र करणसिंह के नाम कर दी, जिससे करणसिंह द्वारा परि िाश्ट ''क'' की आराजी नंबर 347 से 351, 353 से 357 कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा भूमि की जो बक्षीसनामा अपीलान्टगण के पक्ष में किया गया है, वह विधिवत की गयी है। उक्त पंजीकृत बक्षीसनामें को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा गया है इसलिए उसे अवैध एवं भून्य प्रभावी नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध [illegible] के विपरीत जाकर विवादित भूमि को [illegible] अविभाजित भूमि मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 165/2017 निर्भयसिंह बनाम मोहनसिंह

निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 9 की तामिल जरिये डाक करवायी है, किन्तु उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय में रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित किया है, जो वधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2016 को अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिये जाने के कारण अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है, जो न्यायहित में दिया जाना हम आव यक समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 165/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:25 IST
Reason: SelfAttested